

20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरात स्पष्ट होता है कि वर्तमान वाद की वैधानिक अवधि एक वर्ष बीच चुकी है। समय पक्ष की ओर से या संबंधित धाना प्रभारी से शांति भंग होने संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वर्तमान वाद समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

१२/१२/२०२०
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
गोड्डा।

१२/१२/२०२०
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
गोड्डा।